तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम वैदप्रकाश आदि 25/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.07.2025	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देशित पत्रावलीयों की सूची में पत्रावली होने के कारण पत्रावली सीगे से तलब की गई। अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अधिवक्ता अभियुक्त श्री राजेश यादव उपस्थित। पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लक्षित प्रकरणों में से एक है व उक्त पत्रावली में दिनांक 01.07.2025 को आगामी पेशी दिनांक 19.08.2025 गवाह संख्या 2, 14 व 15 की साक्ष्य हेतु नियत की गई थी परन्तु पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में साक्ष्य अभियोजन में कुल 34 गवाह हैं। जिनमें से केवल 8 गवाहों की साक्ष्य अभी तक लेख बद्ध हुई है अतः पत्रावली में तारीख पेशी छोटी की जाना व गवाह सूची केलेण्डर बनाया जाना न्यायोचित है। दोनो पक्षों को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ती नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा इस सम्बन्ध में आदेशिका पर हस्ताक्षर किए गए। अतः पत्रावली में साक्ष्य अभियोजन हेतु गवाहान् को निम्न सूची के अनुसार तलब किया जाए– गवाह संख्या 14, 15, 16 दिनांक 22.07.2025 को बेलेबल वारण्ट 5000 रूपये से। गवाह संख्या 17, 18, 19 दिनांक 24.07.2025 को बेलेबल वारण्ट 5000 रूपये से। गवाह संख्या 20, 21 ,22 दिनांक 25.07.2025 को बेलेबल वारण्ट 5000 रूपये से। गवाह संख्या 23, 24, 25 दिनांक 29.07.2025 को बेलेबल वारण्ट 5000 रूपये से। गवाह संख्या 26, 27, 28 दिनांक 31.07.2025 को बेलेबल वारण्ट 5000 रूपये से। गवाह संख्या 29, 30, 31 दिनांक 02.08.2025 को बेलेबल वारण्ट 5000 रूपये से। गवाह संख्या 32, 33, 34 दिनांक 05.08.2025 को बेलेबल वारण्ट 5000 रूपये से। तलब किया जावे। तामिल पर यह स्पष्ट नोट अंकित हो की उक्त पत्रावली टारगेटेड पत्रावली है। एस एच ओ व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर तामिल दण्ड प्रकिया संहिता के अनूरूप तामिल करावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 22.07.2025 को पेश हो।	SR B/W (21) 587 11-07-25

अपर सेशन न्यायाधीश सं-1
खेतड़ी (राजस्थान)

सरकार V/S वेदप्रकाश आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/7/25	दिनांक 22/7/25 को अभियुक्तगण को सामुहिक न्यायालय उठने से आदेश न्याय पेशी [illegible] गई। अपर लोक अभियोजक उप० अभि० अभियुक्त वेदप्रकाश प्रदीप ललित व जमानत उप० मय अधि० उप० आज [illegible] गवाह [illegible] के लिए [illegible] को गवाहान वास्ते साक्ष्य पूर्व निर्धारित तारीख दिनांक 29/7/25 को पेश हो। अपर सेशन न्यायाधीश क्र.-1 [illegible] (राजस्थान)	अशोक वेदप्रकाश प्रदीप ललित
29/7/25	अपर लोक अभियोजक उप० उप० अभि० वेदप्रकाश अभि० प्रदीप व जमानत उप० गवाह PW-1 संतोष के बयान लेखबद्ध किये गये। अन्य गवाहान वास्ते साक्ष्य पूर्व निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 31/7/25 को पेश हो। अपर सेशन न्यायाधीश क्र.-1 [illegible] (राजस्थान)	वेदप्रकाश अशोक प्रवीण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.7.25 अशोक वेदप्रकाश	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण अशोक व वेदप्रकाश मय वकील व जमानत उपस्थित। शेष अभियुक्तगण (1) सन्तरादेवी (2) कमलेशदेवी, मायादेवी, अनोदेवी, ललित, सोनू व प्रवीण अनु० की द०प्र० हाजरी माफी पेश की गई जो आज के लिये स्वीकार की जाती है। गवाह सतपाल PW10, कुलदीप PW11 व सुनील कुमार PW12 के बयान लेखबद्ध किये गये। अन्य गवाह कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन हेतु पूर्ववत दिनांक 2/8/25 [illegible] [illegible] सेशन न्यायाधीश सं-1 [illegible] ([illegible])	
2/8/25 वेदप्रकाश अशोक	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त वेदप्रकाश, अशोक मय जमानत उप० शेष अभियुक्त [illegible] की हाजरी माफी पेश की जो आज के लिए स्वीकार की जाती है। गवाह PW-13 मोहित, PW-14 [illegible], सुभाष कुमार PW-15 [illegible] के बयान लेखबद्ध किये। पत्रा० पूर्ववत दि० [illegible] दि० 5/8/25 को पेश हो। [illegible] अभियोजन दस्तावेज पेश [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम वैदप्रकाश आदि 23/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.08.2025	अपरलोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त वेदप्रकाश, अशोक बर जमानत मय अधिवक्ता उपस्थित। शेष मुलजिमान अनुपस्थित। आज की हाजरी माफी पेश की। जो आज के लिए स्वीकार की जाती है। गवाह पी डब्लू 16 गोपाल सिंह, पी डब्लू 17 डॉ. अरविन्द सैनी के बयान लेखबद्ध किए गए। अपरलोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 दण्ड प्रकिया संहिता पेश की गई। जिसकी नकल अधिवक्ता अभियुकत को दिलाई गई। जवाब पेश करना चाहा। शेष रहे गवाहों को नीचे उल्लेखित सूची के अनुसार तलब किया जाए– पत्रावली में साक्ष्य अभियोजन हेतु गवाहान् को निम्न सूची के अनुसार तलब किया जाए– गवाह संख्या 14, 16, 17 दिनांक 12.08.2025 को बेलेबल वारण्ट 5000 रूपये से। गवाह संख्या 18, 19, 20 दिनांक 14.08.2025 को बेलेबल वारण्ट 5000 रूपये से। गवाह संख्या 24, 31, 33, 34 दिनांक 19.08.2025 को बेलेबल वारण्ट 5000 रूपये से। तलब किया जावे। तामिल पर यह स्पष्ट नोट अंकित हो की उक्त पत्रावली टारगेटेड पत्रावली है। एस एच ओ व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर तामिल दण्ड प्रकिया संहिता के अनूरूप तामिल करावे। प्रकरण में बाद साक्ष्य मालखाना वापस थाने पे लोटाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन एवं जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 12.08.2025 को पेश हो। अपर सेशन न्यायाधीश सं-1 खेतड़ी (राजस्थान)	माल वजह [illegible]
12.8.25	अपरलोक अभियोजक उप। अभियुक्तगण वेदप्रकाश व अशोक मय वकील व जमानत उप। शेष अभियुक्तगण की ओर से हाजरी माफी पेश की जो आज के लिये स्वीकार की जाती है। गवाह अनिल कुमार PW18, लक्ष्मीनारायण PW19 व [illegible] PW20 के बयान लिये गये। अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 CrPC का जवाब पेश किया। नकल परिवादी [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिखाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन बाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 बी.एन.एस.एस. हेतु दिनांक 14.8.25 को पेश हो।	
	अपर सेशन न्यायाधीश सं.-2, सांगोद (राजस्थान)	
14-8-25	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त मय श्री हेतु की हा.मा. पेश की गई जो आज के लिये स्वीकार की जाती है। गवाह मोतीराम PW21, कृष्ण कुमार PW22 व अमर सिंह PW23 के बयान लेखबद्ध किये गये। अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया नकल अभियुक्त गण/अधिवक्ता को दिखाई गई। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पदमी को अनुमति दी जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन पक्ष पुनः दिनांक 19/8/25 को पेश हो।	
	अपर सेशन न्यायाधीश सं.-2, सांगोद (राजस्थान)	

नोट पेश 14/8/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम वैदप्रकाश आदि 23/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible].08.2025	अपरलोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त अशोक व वेदप्रकाश बर जमानत मय अधिवक्ता उपस्थित। शेष अभियुक्तगण अनुपस्थित। आज की हाजरी माफी जरिये अधिवक्ता पेश की। जो आज के लिए स्वीकार की जाती है। गवाह पी डब्लू 24 वेदप्रकाश के बयान लेखबद्ध किए गए। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 दण्ड प्रकिया संहिता सुनी गई। दौरानः बहस अपरलोक अभियोजक व अधिवक्ता परिवादी श्री विक्रम सिंह द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया की इस प्रकरण के आहत का इलाज एस एम एस अस्पताल जयपुर में डा. विजय शर्मा रेडियोलोजिस्ट द्वारा किया गया है। उक्त इलाज के दस्तावेजात पत्रावली में संलग्न हैं। उक्त तथ्यों की जानकारी गवाह डा. अरविन्द के बयानों से हुई है। ऐसी परिस्थितियों में ये गवाह चिकित्सीय साक्षी होकर आहत की चोटों को साबित करने के लिए अत्यंत आवश्यक गवाह हैं जिन्हें गवाह सूची में नहीं रखा गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इस गवाह को गवाह सूची में जोडकर तलब की जाने की अनुमती प्रदान की जावे। जिसके जवाब में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया की डा. विजय शर्मा द्वारा कोई इलाज नहीं किया गया है झूठे दस्तावेज पेश किये हैं अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में आहत के इलाज एस एम एस अस्पताल में होने का तथ्य पत्रावली के दस्तावेजों से प्रकट होता है। ऐसी परिस्थितियों में आहत की चोटों को शाबित करने के लिए उक्त गवाह को तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रीडर को लाल स्याही से उक्त गवाह को दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। प्रकरण में गवाह सूची का अवलोकन करने पर प्रथम गवाह सूची में कुल 34 गवाह का अंकन किया गया है। जिसमें से 24 गवाह के बयान लेखबद्ध किए जा चुके हैं। तथा 6 गवाहों को अपरलोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया है। गवाह भरतलाल बावजूद सूचना बेलेबल वारण्ट अनुपस्थित अतः उन्हे अरेस्ट वारण्ट से तलब किया जावे शेष सभी गवाहों को बेलेबल वारण्ट 10,000 रू. से तलब किया जावे। तामिल पर यह स्पष्ट नोट अंकित हो की उक्त पत्रावली टारगेटेड पत्रावली है। एस एच ओ व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर तामिल दण्ड प्रकिया संहिता के अनूरूप तामिल करावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 28.08.2025 को पेश हो। अपर सेशन न्यायाधीश क्र.-1 [illegible] (राजस्थान)	वेदप्रकाश अशोक SR B/W (2) A/W (1) 687 20-08-25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम वैदप्रकाश आदि 23/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.08.2025	अपरलोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त प्रवीण व वेदप्रकाश बर जमानत मय अधिवक्ता उपस्थित। शेष अभियुक्तगण अनुपस्थित। आज की हाजरी माफी जरिये अधिवक्ता पेश की। जो आज के लिए स्वीकार की जाती है। गवाहान अनुपस्थित। गवाह अंकेश कुमार थानाधिकारी की तामिल पर रिर्पोट है कि अंकेश कुमार की तामिल करानी चाही तो एस एच ओ कानून व्यवस्था ने खेरथल–तिजारा गये हुए होनो एच एम द्वारा बताया गया। थानाधिकारी की ओर से अंकेश कुमार उपनिरिक्षक द्वारा एन डी पी एस की इन्वेन्ट्री कार्यवाही हेतु 28.08.2025 को पाबन्द किया हुआ होना व कानून व्यवस्था में व्यस्त होने के कारण उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर की है व वितन्तु संदेश भेजा गया है गवाह भरतलाल की तामिल जरीये इ–मेल करवाई गई है। जिसके सम्बन्ध में जरीये अपरलोक अभियोजक एक पत्र प्रेषित किया है की उक्त गवाह की साक्ष्य दिनांक 30.08.2025 को लेखबद्ध करने की कृपा करें क्योंकि वह उस दिन अन्य पत्रावलीयों में भी तलब है। उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। गवाह डा. विजय शर्मा की तामिल पर रिपोर्ट है की एस एम एस अस्पताल में उक्त गवाह का पता नहीं चल पाया है। अतः तामिल अदम प्रेषित की है। अतः अपरलोक अभियोजक पूर्ण पता पेश करे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य गवाह भरतलाल दिनांक 30.08.2025 को पेश अपर सेशन न्यायाधीश ... कोटपूतली (राजस्थान)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम वैदप्रकाश आदि 25/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.08.2025	अपरलोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त अशोक और वेदप्रकाश बर जमानत मय अधिवक्ता उपस्थित। शेष अभियुक्तगण अनुपस्थित। आज की हाजरी माफी जरिये अधिवक्ता पेश की। जो आज के लिए स्वीकार की जाती है। गवाह पी डब्लू 25 भरतलाल के बयान लेखबद्ध किए गए। गवाह अंकेश कुमार, रामप्रकाश वृताधिकारी को आदेशिका दिनांक 28.08.2025 के अनुक्रम में जरीये बेलेबल वारण्ट को 10,000 रू. से तलब किया जावे। तामिल पर स्पष्ट नोट अंकित होगी की उक्त गवाहान अंतिम गवाहान है। प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लक्षित प्रकरणों में से एक है। अतः तामिल हर सूरत में कराई जावे अदम तामिल की सूरत में स्वयं न्यायलय में उपस्थित आवें। अधिवक्ता परिवादी श्री विक्रम सिंह निर्वाण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिंता जरीये अपर लोक अभियोजक पेश की। नकल अधिवक्ता अभियुक्तगण श्री राजेश यादव को दिलाई गई। जवाब हेतु अवसर चाहा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन/जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2025 को पेश हो। अपर सेशन न्यायाधीश सं.-1 (राजस्थान)	SR B/W (2) 711 03-09-25